



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 अगस्त, 2026

श्रावण 26, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 242/79-वि-1-2026-1-क-11-2026

लखनऊ, 17 अगस्त, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 14 अगस्त, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)

(संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 35
सन् 1979
की धारा 9
का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में शब्द, अंक और प्रतीक “मोटर यान अधिनियम, 1988 के; या” के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक “मोटर यान अधिनियम, 1988 के ऐसा अपराध न हो जो गैर-शमनीय हो, अथवा जिसके लिए अनिवार्य कारावास उपबंधित हो, या जो पुनरावृत्ति अपराध की श्रेणी में आता हो; या” रख दिये जायेंगे ।

निरसन और
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2026) और उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2026) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे ।

उद्देश्य और कारण

कतिपय अपराधों का शमन एवं कतिपय आपराधिक विचारणों के उपशमन हेतु उपबंध करने के लिए कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979) अधिनियमित किया गया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2012 (एस0 राजसीकरण बनाम भारत संघ और अन्य) में, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.11.2025 में पाया कि यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध करता है और जुर्माने का भुगतान नहीं करता है, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात् कार्यवाही स्वतः उपशमित हो जाएगी। परिणामस्वरूप, गंभीर यातायात अपराधों से अंतर्ग्रस्त मामलों में, अपराधी बिना किसी सजा के बच जाएगा, जो कि एक अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसी परिस्थितियों में, यातायात अपराधों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों विशिष्टतः युवाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कतिपय निवारक उपाय होने चाहिए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 मई, 2026 को उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 242(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-11-2026

Dated Lucknow, August 17, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apradhon Ka Shaman Aur Vicharanon Ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 2026. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES
AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT)

ACT, 2026

(U.P. ACT NO. 26 OF 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences
and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India
as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2026. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 8th day of April, 2026.

2. In sub-clause (i) of Clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979, *for* the words, figures and symbols “the Motor Vehicles Act, 1988; or”, the words, figures and symbols “the Motor Vehicles Act, 1988, not being such offence which is non-compoundable, or for which mandatory imprisonment is provided, or which falls within the category of a repeat offence; or” shall be *substituted*. Amendment of Section 9 of U.P. Act No. 35 of 1979

3.(1) The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 9 of 2026) and the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Second Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 12 of 2026) are hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act No. 35 of 1979) has been enacted to amend certain enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials.

In Writ Petition (Civil) No. 295/2012 (S. Rajaseekaran *versus* Union of India & Ors.), pending before the Hon'ble Supreme Court, the Hon'ble Court, in its order dated 20.11.2025, observed that if a person currently commits an offence under the Motor Vehicles Act, 1988 and does not pay the fine, then after a certain period the proceedings would automatically abate. As a result, in cases involving serious traffic offences, the offender would escape without any punishment, which is an extremely serious matter. In such circumstances, there should be certain deterrent measures to ensure control over persons involved in traffic offences, particularly young people.

In view of the above, it was decided to amend Section 9 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Second Ordinance, 2026 (U. P. Ordinance No. 12 of 2026) was promulgated by the Governor on May 13, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.